राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या 261/2018.....जिला.....झुन्झुनू.....

उनवान – मैसर्स गणपति मिनरल्स, झुन्झुनू बनाम् 1. अपीलीय प्राधिकारी, वा.क., बीकानेर 2. वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत झुन्झुनू।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

खण्डपीठ
श्री राजीव चौधरी, सदस्य
श्री मदन लाल मालवीय, सदस्य

20/03/2018

अपीलार्थी के अधिवक्ता श्री अलकेश शर्मा एवं विभाग की ओर से श्री एन.के.बैद, उप–राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अपीलीय प्राधिकारी, वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.02.2018 जो राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 55 के तहत् कायम की गयी मांग राशि के संबंध में पारित किया गया है, के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। अपील में अपीलीय अधिकारी द्वारा निम्नांकित तालिकानुसार विवादित मांग राशि की वसूली पर रोक लगाने के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया है, अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र के अधिनियम की धारा 38(4) एवं सपठित धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है।

अ.सं.	कर नि. वर्ष	अपी.अधिकारी की अपील सं.	अपी. अधि. के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि	अ. अधि. द्वारा स्थ. राशि	कर बोर्ड के समक्ष स्थगन हेतु आवेदित राशि
1	2	3	4	5	6
261/18	16–17	अ.प्रा./बीका./स्थ/17–18	2,59,51,197	–	2,59,51,197

अपीलार्थी द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश से अस्वीकार करते हुए आदेश पारित किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने तर्क दिया कि पारित अपीलीय आदेश विधिसम्मत एवम् उचित नहीं है, क्योंकि कर निर्धारण अधिकारी ने शास्ति आरोपण से पूर्व धारा 10ए में नोटिस ही जारी नहीं किया एवं ना ही सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया। कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी की कर चोरी की मंशा को सिद्ध भी नहीं किया है। अतः उन्होंने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा मांग राशि के संबंध में प्रकरण एवम् सुविधा संतुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में होने के कारण, विवादित मांग राशि की वसूली को कर बोर्ड के समक्ष लम्बित अपील के निस्तारण तक रोक लगाने की प्रार्थना की गयी।

लगातार.....2

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर।

अपील संख्या .....261/2018.....जिला.....झुन्झुनू

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज —: 2 :—	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
20/03/2018	विभागीय प्रतिनिधि ने कर निर्धारण अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन कर, सुविधा संतुलन विभाग के पक्ष में होना प्रकट किया तथा वसूली के स्थगन हेतु प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार करने का निवेदन किया। उभयपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण अभी अपीलीय अधिकारी के समक्ष लम्बित है अतः गुणावगुण पर इस प्रक्रम पर टिप्पणी किया जाना न्यायसंगत नहीं है अपीलीय अधिकारी के आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा उक्त अवधि में राज्य के बाहर से आयात की गई सामग्री HSD (डीजल) की खरीद उपयोग Goods for use in Manufacturing and processing बताया है। इसके लिये अपीलार्थी ने उक्त अवधि में राज्य के बाहर से Hot mix plant भी आयात किया है लेकिन Hot mix plant की प्रविष्टि का इन्द्राज पंजीयन प्रमाण पत्र में नहीं करवाया गया है। अपीलार्थी को शास्ति आरोपण के पूर्व समुचित नोटिस जारी किया गया था। परिणामस्वरूप **प्रथम दृष्टया सुविधा सन्तुलन अपीलार्थी व्यवहारी के पक्ष में प्रतीत नहीं होने से बकाया मांग राशि की वसूली हेतु प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।** अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अपीलार्थी की कोई मदद नहीं करता है। अतः गुणावगुण को प्रभावित किये बिना अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाकर प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धार 38(4) राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 अस्वीकार की जाती है एवं इस संबंध में अपीलीय अधिकारी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त आदेश प्राप्ति के **तीन माह** में अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करें। उपरोक्तानुसार व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाता है। निर्णय सुनाया गया। (मदनलाल मालवीय) सदस्य 20/03/18 (राजीव चौधरी) सदस्य	